

फा. सं. 22040/30/2012-एनजीओ (खण्ड-।)

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
(एनजीओ प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक 23 मई, 2017

प्रधान सचिव/सचिव  
जनजातीय/समाज कल्याण विभाग

सभी राज्य सरकारें  
(संलग्न सूची के अनुसार )

विषय : जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 तथा आगे के लिए "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) की गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पर प्रतिबंध ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18.07.2016 तथा 07.02.2017 के, मंत्रालय के सम-संख्यकपत्राचारका संदर्भ ग्रहण करें । यह निर्णय लिया गया है कि इसमें निर्दिष्ट गतिविधियों /परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है ।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ।

भवदीया,  
रीमा शर्मा  
(रीमा शर्मा)  
23/05/2017

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष : 011-23387187

प्रतिलिपि :

1. जनजातीय कार्य मंत्री / राज्य मंत्री (जनजातीय कार्य) के निजी सचिव
2. सचिव (जनजातीय कार्य) के प्रधान निजी सचिव
3. सभी एनजीओ/वीओ (वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान निधि पोषित )
4. अध्यक्ष, एनसीएसटी, 6ठां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
5. प्रबंध निदेशक, ट्राईफेड/अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, एनएस्टीएफडीसी (इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)
6. निदेशक (एनआईसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय-मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए